कोविड–19 के लाकडाऊन काल में इकाई संचालन हेतु आवेदन पत्र

1–इकाई का नाम :–...

2–इकाई का पता:–.. (इकाई का पंजीयन/उद्योग आधार/आई ई एम/आई ई सी सर्टिफिकेट/अन्य कोई जा लागू हो, की प्रति संलग्न करें)

3–इकाई के स्वामी/भागीदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक का नाम :–..

4–इकाई के स्वामी/भागीदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक का मोबाईल नं0 :–...

5–इकाई का ई–मेल :–...

6–इकाई की अवस्थिति (Location)
(ग्रामीण क्षेत्र/शहरी क्षेत्र/औद्योगिक आस्थान/औद्योगिक क्षेत्र/आवासीय क्षेत्र) ....

7–इकाई निर्यात परक है या नही ....

8–इकाई के प्रमुख उत्पाद...

9–इकाई का प्रकार
(सर्विस/मैन्यूफैक्चरिंग/जाब वर्क) ....

10–इकाई द्वारा निर्मित माल की मार्केटिंग
(जिला स्तर/राज्य स्तर/राष्टोय स्तर/अन्तराष्टोय स्तर)...

11–सामान्य अवधि में कार्यरत कार्मिकों/श्रमिकों की संख्या ....

12–लॉकडाउन अवधि में इकाई संचालन हेतु न्यूनतम कार्मिकों/श्रमिकों की संख्या **(शब्दों में) ------**

13–इकाई का श्रम विभाग का पंजीयन संख्या (यदि हो) ....

14–इकाई का GST संख्या ....

15–उत्पाद से सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी रजि0नं0 (आव"यक सेवाओं हेतु)..

16–कार्मिकों की संख्या जिन के परिसर में रोकने की व्यवस्था है ....

17–यदि कार्मिकों का परिसर के बाहर से आना है तो ऐसे कार्मिकों की संख्या **(शब्दों में)** ....

18–परिवहन की व्यवस्था हेतु उपलब्ध वाहन एवं वाहन चालक का विवरण (नाम/पता/मो0नं0/आधारकार्ड संख्या) ....

19–आवागमन करने वाले कार्मिको के नाम/पता/ आधार कार्ड नम्बर की प्रमाणित सूची ....
(सूची संलग्न करें)

20–इकाई का स्वतः प्रमाणित घाषणापत्र ।

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं............................ ...., इकाई का नाम मे0 ....

प्रोपराईटर/पार्टनर /डायरेक्टर शपथ पूर्वक प्रतिबद्धता प्रकट करता हूँ किः–

औद्योगिक इकाईयों के संचालन के दौरान सामाजिक/शारीरिक दूरी बनाये रखने के सम्बन्ध मे अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0, द्वारा निर्धारित स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) का अनुपालन निम्नानुसार सुनिश्चित किया जायेगाः–

1. इकाई परिसर के सभी क्षेत्रों सहित निम्नांकित स्थानों का उपयोगकर्ता हेतु हानिरहित कीटाणुनाशाक का उपयोग कर के पूर्ण रूप से विसंक्रमित किया जायेगा।
   क.भवन, कार्यालय आदि का प्रवेश द्वार।
   ख.कैफेटेरिया तथा कैंटीन।
   ग. सभाकक्ष, सम्मेलनहाल/खुला क्षेत्र/बरामदा/प्रवेश द्वार स्थल, बंकर, पोर्टा केबिन भवन आदि।
   घ. समस्त उपकरण और लिफ्‌ट।
   ड़. वॉशरूम, टॉयलेटसिंक, वॉटर पॉइंट आदि।
   च. समस्त दिवारें/अन्य सतहें।
2. रेड तथा ऑरेन्जजोन में 50 से अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों में बाहर से आने वाले कर्मियों/श्रमिकों के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर किसी प्रकार की निर्भरता के बिना विशेष परिवहन की सुविधा की व्यवस्था की जायेयी । इन वाहनो को केवल 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ संचालित की जायेगी।
3. परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों और मशीनरी पर कीटाणुनाशक स्प्रे के माध्यम से अनिवार्य रूप से विसंक्रमित किया जायेगा।
4. कार्यस्थल पर प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए थर्मलस्केनिंग अनिवार्य रूप से की जायेगी।
5. कार्मिकों/श्रमिकों के लिए चिकित्सा बिमा अनिवार्य रूप से कराया जायेगा।
6. इकाई द्वारा हाथ धोने के लिए सैनेटाइजर्स की व्यवस्था की जायेगी, जो स्पर्श मुक्ततंत्र का वारीयता के साथ सभी प्रवेश और निकासी बिन्दुओं सामान्य क्षेत्र में उपलब्ध कराया जाये तथासभी वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध सुनिशचित की जाये।
7. कायस्थलों में दो पारियों के बीच एक घण्टे का अन्तर होगा और सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों द्वारा दोपहर के भोजन का पृथक एवं निलंबित रूप से किया जायेगा।
8. 10 या अधिक प्रतिभागियों की बडी सभाओं या बैठकों को हतोत्साहित कियाजायेगा।कार्यस्थलों एवं सभाओं, बैठकों और प्रशिक्षण सत्रों में सम्बन्धित व्यक्ति एक दूसरे से कम से कम 06 फिट की दूरी पर बैठेगें।
9. दो या चार से अधिक व्यक्तियों (लिफ्‌ट के आकार के आधार पर) को लिफ्‌टो का उपयोग नहीं किया जायेगा।
10. सीढी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा।
11. गुटखा, तम्बाकू आदि को सख्त प्रतिबंध होगा और थूकना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।
12. कार्य स्थलो पर गैर आवश्यक आगुन्तकों पर सम्पूर्ण प्रतिबन्ध होगा।
13. आस–पास के क्षेत्रोंमें कोविड–19 के रोगियों के उपचार के लिए अधिकृत चिकित्सालयों/क्लिनिकों को चिन्हित कर इनकी सूची हर समय कार्यस्थल पर उपलब्ध होनी चाहिए।
14. 50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानो को संचालन से पूर्व अधिकतम 25 कर्मियों की सीमा के अधीन अपने कुल कर्मचारियों के रैण्डम आधार पर कम से कम 5 प्रतिशत कर्मियों का आरटी–पीसीआर विधि से परीक्षण कराना होगा, उसके बाद प्रत्येक 15 दिनों पर 5 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10 कार्मिकों का रैण्डम आधार पर परीक्षण किया जायेगा।जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आर्थिक गतिविधियों/औद्योगिक गतिविधियों के प्रारम्भ होने के पश्चात प्रोटोकाल का कडाई से पालन किया जा रहा है एवं किसी प्रकार का संक्रमण वहॉ नही हो रहा है। टेस्टिंग की रिपोर्ट मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।
15. आपदा प्रबन्धन 2005 का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।
16. कार्यस्थल पर फेसकवर/मास्क आवश्यक रूप से लगवाया जायेगा तथा इस हेतु मास्क आदि का प्रर्याप्त स्टाक रखा जायेगा।
17. इकाई स्वामी एवं समस्त कार्मिकों के लिए आरोग्य सेतु एप 100 प्रतिशत कवरेज अनिवार्य है।
18. बैठक (जिनमें ज्यादा व्यक्तियों के इकटठा/उपस्थिति होने की स्थिति हो) नही की जायेगी।

19. कार्यस्थलों पर नजदीकी क्षेत्र में कोविड–19 के लिए अधिकृत हास्पिटल आदि की सूची रखी जायेगी तथा किसी कार्मिक को कोविड–19 के लक्षण पाये जाएं तो उसे तत्काल चिकित्सा उपलब्ध करायी जायेगी।

20. ऐसे कार्मिक/कार्मिकों के लिए जिनमें कोविड–19 के लक्षण हो को, जब तक इलाज हेतु अस्पताल में न भेज दिया जाए उन्हें आइसोलेट करने के लिए क्वारन्टाइन सेण्टर में रखाजायेगा।

21. व्यक्तिगत/सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था न होने पर उचित परिवहन सुविधा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।

22. समुचित साफ–सफाई एवं स्वच्छता के सम्बन्ध में आवश्यक ध्यान रखा जायेगा।

23. परिसर में रोके गये कार्मिकों के प्रवास/विश्राम/भरण–पोषण/सोशलडिस्टेन्सिंग/स्वास्थय एवं सुरक्षा हेतु मानक के अनुरूप व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जायेगी।

24. भारत सरकार एवं राज्य सरकार तथा जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी समस्त दिशा–निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायगा।

25. मेरे द्वारा दी गयी समस्त सूचनायें/विवरण सत्य हैंतथा किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है तथा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरण तथा निर्देशों के अनुपालन में किसी प्रकार की विसंगति/शिथिलता परिलक्षित होने के आधार पर की जाने वाली किसी भी कार्यवाही के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊॅगा ।

इकाई स्वामी/अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम